

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] dYik] ftyk fdUukj %fg0i0%

मुकद्दमा नं० : 25 / 2025

तारीख रजुआ : 14-05-2025

Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh, r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कोठी
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 15-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Ramesh Kumar s/o Late Shyam Singh का जन्म 15-01-1985 को गांव कोठी में हुआ है का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-07-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] dYik] ftyk fdUukj %fg0 i0%

मुकद्दमा नं० : 24 / 2025

तारीख रजुआ : 28-04-2025

Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher, r/o Village Haldarpur, P.O. Kolpur, District Bardiya, State Lumbinii, Nepal presently residing at V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम खवांगी

2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विषय.—प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher (नेपाली मूल) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है पत्र के अवलाकन से पाया गया कि प्रार्थिया की पुत्री Sachi का जन्म 28-11-2019 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Jyoti w/o Sh. Sisher (नेपाली मूल) की पुत्री Sachi का जन्म 28-11-2019 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-07-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया की पुत्री के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr Jh bUn flg] dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh %uk;c rglhynkj% mi&rglhy Vki jh]
ft yk fdUukj %fg0i0%&172 104

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री ज्ञान सरन, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विषय.—उनवाद मुकद्दमा दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री ज्ञान सरन, निवासी गांव व डा0 उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) द्वारा इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपनी जन्म तिथि 12-03-1971 को ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में श्रीमती कान्ता देवी की जन्म तिथि 12-03-1971 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 05 जुलाई, 2025 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस

अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई एजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्रीमती कान्ता देवी की जन्म तिथि 12-03-1971 ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 04 जून, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] fupkj fLFkr Hkkokuxj] ft yk fdUukj %fg0i0%

नम्बर मुकदमा : 12/2025

श्री रसबीर पुत्र श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्री रसबीर पुत्र श्री छेरिंग दोर्जे, निवासी गांव नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 02-11-1986 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] fupkj fLFkr Hkkokuxj] ft yk fdUukj %fg0i0%

नम्बर मुकद्दमा : 38 / 2024

श्रीमती चरण दासी पुत्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी ।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण ।

यह दरखास्त श्रीमती चरण दासी पुत्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 27-02-1968 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] fupkj fLFkr Hkkokuxj] ft yk fdUukj %fg0i0%

नम्बर मुकद्दमा : 37 / 2024

श्रीमती इन्दर मणी पुत्री श्री बिर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी ।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती इन्दर मणी पुत्री श्री बिर सुख, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 01-07-1963 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] fupkj fLFkr Hkkokuxj] ft yk fdUukj %fg0i0%

नम्बर मुकदमा : 36 / 2024

श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 श्री अमर चन्द, निवासी गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त की आवेदन पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 21-05-1968 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का

प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr dk;|dkjh n.Mkf/kdkjh] fupkj fLFkr Hkkokuxj] ft yk fdUukj %fg0i0%

नम्बर मुकदमा : 40 / 2024

श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार, निवासी गांव कण्डार, डा0 नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार, निवासी गांव कण्डार, डा0 नाथपा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त के आवेदन पत्र जिसमें अपने पुत्र कृष नेगी की जन्म तिथि 26-12-2012 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने बारे अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

c vnkyr Jh bUn flig] lgk;d lekgrk f}rh; J:kh o uk;c rglhynkj]
mi&rglhy Vkiyh] ftyk fdUukj %fg0i0%&172 104

मिसल नं0 : 19/2025

तारीख रजुआ : 14-05-2025

सन्त राम पुत्र छेरिंग जर, निवासी जानी, डा0 रामनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
... वादी।

बनाम

आम जनता

श्री छेरिंगपूर पुत्र सनमपत, निवासी ग्राम जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।
... प्रतिवादीगण।

दरखास्त बराए तस्दीक इंतकाल मकफूद-उल-खबरी।

प्रार्थी श्री सन्त राम पुत्र छेरिंग जर, निवासी जानी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेज सहित गुजारा है कि उसका चाचा श्री छेरिंगपूर पुत्र सनमपत अरसा 50 वर्षों से लापता है। इस बीच उसे कभी भी ग्राम जानी में नहीं देखा गया व न ही किसी रिश्तेदार से सम्पर्क किया जाना पाया गया। प्रार्थी उपरोक्त ने अनुरोध किया है कि श्री छेरिंगपूर की वरास्त इंतकाल को उसके जायज वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक किया जाए।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि छेरिंगपूर की वरास्त इंतकाल को बजरिया मकफूद-उल-खबरी उसके वारसान के नाम तस्दीक करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर असागतन व वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित रूप में अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले समायत न होगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त इंतकाल बजरिया मकफूद-उल-खबरी तस्दीक किया जाएगा।

आज दिनांक 14 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी व नायब तहसीलदार,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

Before the Court of Additional District Magistrate-cum-Sub-Divisional Officer,
Pooh, Distt. Kinnaur, H.P.

In the matter of:

1. Sh. Amrik Singh s/o Sh. Kunga Tanzin, r/o VPO Ropa, Tehsil Pooh, District Kinnaur H.P.

2. Smt. Hirveshi Devi d/o Sh. Ajit Kumar Negi, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur H.P. ..Applicants.

Versus

General Public (2nd Party)

Application for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Amrik Singh s/o Sh. Kunga Tanzin, r/o VPO Ropa, Tehsil Pooh, District Kinnaur H.P. and Smt. Hirveshi Devi d/o Sh. Ajit Kumar Negi, r/o VPO Pangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur H.P. have filed an application before the Court of undersigned for registration of their marriage alongwith affidavit and supporting documents & copies of Aadhar Cards, to this court wherein they have stated that they have solemnized their marriage on 19-10-2023, but due to Inadvertence their marriage could not be entered in the Panchayat record to till date.

Therefore, the general public and relatives of the couple are hereby informed through this notice that if any person, has any objection regarding registration of this marriage, he/she may raise his/her objection personally or may file in writing before this court on or before 21-06-2025. In case no objection(s) are received to fix date, it will be presumed that there is no objection to the registration of above marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on this 9-06-2025.

Seal.

Sd/-
*Additional District Magistrate-cum-Sub-Divisional Officer,
Pooh, Distt. Kinnaur, H.P.*
